न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 649–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 7.2.2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील सांवेर,जिला इन्दौर, प्रकरण कमांक 46/अ–6/2011–12.

मनोहर सिंह पिता बनेसिंह राजपूत,
निवासी ग्राम सिमरोल, तहसील सांवेर,
जिला इन्दौर ....आवेदक

विरूद्ध

1. दिलीप सिंह पिता बनेसिंह राजपूत,
2. लोकेन्द्र सिंह पिता बनेसिंह राजपूत,
3. जितेन्द्र सिंह पिता बनेसिंह राजपूत

सभी निवासी ग्राम सिमरोल तहसील सांवेर,
जिला इन्दौर ....अनावेदकगण

....

श्री विजय गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम0एस0 तोमर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 27 मई, 2015)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.2.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार सांवेर के समक्ष नामांतरण हेतु इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता स्वर्गीय बनेसिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सिमरोल स्थित भूमि सर्वे कमांक 308 रकबा 1.113 आरे, सर्वे कमांक 312/2 में से रकबा 0.182 आरे, सर्वे कमांक 319/3 रकबा 0.714 आरे, सर्वे कमांक 327/2 रकबा 0.713 आरे एवं सर्वे कमांक 145/1 रकबा 0.537 आरे कुल किता 5 रकबा 3.259 आरे है । अनोवदकगण के पिता द्वारा अपने

जीवनाल में उक्त भूमि का वसीयतनामा दिनांक 11.11.2011 को नोटरी के समक्ष अनावेदकगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया था । उनके पिता की मृत्यु दिनांक 21.2.2012 को हो चुकी है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर मृतक बनेसिंह के स्थान पर अनावेदकगण का नामांतरण किया जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार सांवेर द्वारा प्रकरण कमांक 46/अ–6/2011–12 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आंवेदक की ओर से साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि डा0 अपूर्व पुराणिक द्वारा स्वर्गीय बनेसिंह की मानसिक चिकित्सा की गई थी, इस बावद् अनावेदकगण को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया था, किन्तु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रकरण में डा0 अपूर्व पुराणिक द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2010 की फोटो प्रति उपलब्ध है, उक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति नष्ट हो गई है । अनावेदकगण द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2010 की फोटो प्रति षष्टम जिला जज के समक्ष प्रचलित वाद कमांक 90ए/2008 के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसकी प्रति आवेदक को प्रदत्त की गई थी । अतः उक्त प्रमाण पत्र की फोटो प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की जाये । इसी प्रकार व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रमाण पत्र की फोटो प्रति को प्रतिपरीक्षण में प्रमाणित किये जाने बावद् दीवानी वाद का अभिलेख मंगाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 7.2.2014 को आदेश पारित कर साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर, यह आदेशित किया गया कि आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 के अंतर्गत वरिष्ठ न्यायालय का अभिलेख मंगाये जाने की मांग की गई है, जो संभव नहीं है, आवेदक अपने स्तर से एक सप्ताह में उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा । प्रकरण में साक्ष्य हेतु दिनांक 24.2.2014 की पेशी नियत की गई । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में नायब तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार

का प्रयोग नहीं किया गया है, उन्हें उक्त फोटो प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने का पूर्ण अधिकार था । यह भी कहा गया कि डा0 अपूर्व पुराणिक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनोवदकगण के आधिपत्य में थी, जिसे उनके द्वारा प्रदर्श नहीं किया गया था, इसीलिये आवेदक द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की फोटो प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे केवल इस आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है कि फोटो प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब आवेदक के आधिपत्य में मूल प्रति नहीं थी, और अनावेदकगण द्वारा कहा गया है कि मूल प्रति नष्ट हो गई है, तब उक्त फोटो प्रति को द्वितीयक साक्ष्य में रूप में ग्राह्य करना चाहिए था, ताकि प्रकरण में वास्तविक न्याय हो सके । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त फोटो प्रति को प्रमाणित करने हेतु व्यवहार वाद का अभिलेख मंगाना था, जो नहीं मंगाया गया है । इस आधार पर कहा गया कि फोटो प्रति प्रमाणित करने हेतु व्यवहार वाद का अभिलेख मंगाये जाने का दायित्व नायब तहसीलदार का था, अतः आवेदक को व्यवहार वाद की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का निर्देश देना विधि अनुरूप नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि फोटो प्रति साक्ष्य विधान के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय का अभिलेख मंगाये जाने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा मुख्यतः इस आधार पर आवेदक की ओर से साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि फोटो कॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं की जा सकती है । इस सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 निम्नानुसार है :—

" धारा 63—द्वितीयक साक्ष्य— द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत आते हैं :—

1. एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां,

2. मूल से ऐसी यांत्रिक प्रकियाओं द्वारा, जो प्रकियाएं स्वयं ही प्रतिज की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाईगई प्रतियां तथा प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां,
3. मूल से बनाई गई तथा तुलना की गई प्रतियां,
4. उन पक्षकारों के विरूद्ध, जिन्हौनें उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख,
5. किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसनें स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृतान्त ।''

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि धारा 63(2) के अंतर्गत फोटो कॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य योग्य है । अतः नायब तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि मूल प्रति के अभाव में प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है, किन्तु आवेदक द्वारा फोटो कॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकृत करने की मांग की गई है, जो नहीं की जा सकती है, विधि विपरीत होने से मान्य योग्य नहीं है । इस सम्बन्ध में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क भी मान्य योग्य नहीं है कि फोटो प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं की जा सकती हैं । जहां तक चिकित्सा प्रमाण पत्र की फोटो प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (क) एवं (ग) निम्नानुसार है :–

'' (क) जबकि यह दर्शित कर दिया जाये या प्रतीत होता हो किमूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है, जिसके विरूद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है अथवा जो उसे पेश करने के लिए आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है, द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

''(ग) जबकि मूल नष्ट हो गया है, या खो गया है, अथवा जबकि उसकी अर्न्तवस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिकम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता, द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा । ''

इस प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि डा0 अपूर्व पुराणिक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2010 की मूल प्रति नष्ट हो गई है, अतः अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा प्रमाण पत्र की फोटो प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करना चाहिए थी । इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक का साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । अतः नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.2.2014 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वह उनके प्रकरण में उपलब्ध चिकित्सा प्रमाण पत्र की फोटो प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति आवेदक को प्रदान करें । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर